

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता—प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : ३०८०३—प्र० / रा.आ.म. / २०१९—२० / ३७२—A

दिनांक : २६.११.१९

कार्यालय आदेश

संचालक मण्डल की दिनांक ८.११.२०१९ को सम्पन्न २३९वीं बैठक के बिन्दु संख्या २३९.३२ पर लिये गये निर्णय की अनुपालेना में सैकटर—२६, जोन २६६ प्रताप नगर योजना, जयपुर में मध्यम आय वर्ग 'अ' के बहुमंजिले फ्लेट्स हेतु प्रस्तावित मुख्यमंत्री शिक्षक/प्रहरी आवासीय योजना हेतु मण्डल के लागत सिद्धान्त—२०१० के बिन्दु संख्या—१३ में ओडीसी २.०० प्रतिशत के प्रावधान के स्थान पर शून्य, लागत सिद्धान्त—२०१० के बिन्दु संख्या—१७.२ में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ२(३)लागत/१०१७/१०९७ दिनांक २३.१२.२०१५ के संशोधन बिन्दु संख्या—७ में सीईआर शुल्क ६.०० प्रतिशत के प्रावधान के स्थान पर शून्य तथा लागत सिद्धान्त—२०१० के बिन्दु संख्या—१५ में प्रशासनिक शुल्क १०.०० प्रतिशत के प्रावधान के स्थान पर ५.०० प्रतिशत पर लिये जाने की शिथिलता प्रदान की जाती है। लागत सिद्धान्तों में उपरोक्त शिथिलता केवल उक्त पंजीकरण योजना हेतु ही लागू होगी।

sd-
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

१. निजी संचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
२. मुख्य अभियंता, प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
३. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
४. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
५. मुख्य राम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
६. निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
७. उप आवासन आयुक्त वृत्त—प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
८. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
९. आवासीय अभियंता, खण्ड—दशम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र उक्तानुसार बुकलेट लागत निर्धारित करावें।
१०. रक्षित पत्रावली।

११४०५
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम,